रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2010/ज्येष्ठ 19, 1932

No. 160] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2010/JYAISTHA 19, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2010

जांच शुरूआत

(निर्णायक समीक्षा)

विषयः कोरिया गणराज्य तथा अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम सायनाइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत ।

सं. 15/6/2010-डीजीएडी.– यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य तथा अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम सायनाइड (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी । प्राधिकारी के अंतिम जाँच परिणाम मूल जाँच में और तदुपरांत प्रथम एसएसआर में क्रमशः दिनांक 6 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 8/1/99-डीजीएडी तथा 5 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना सं. 15/9/2003-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे । प्रथम एसएसआर में अंतिम जाँच परिणाम के आधार पर दिनांक 19.5.2005 की अधिसूचना सं. 102/2005 के तहत राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

2. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9(क)5 के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क पहले समाप्त न किया जाए तो लगाया गया शुल्क लागू किए जाने की तारीख से

पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा और प्राधिकारी द्वारा यह समीक्षा किया जाना आवश्यक है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी सं. 2006 का 16893 में यह माना था कि निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्द्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार यह जाँच करने के लिए निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है ।

3. विचाराधीन उत्पाद

मूल जाँच तथा पहली निर्णायक समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद और अद्यतन स्थिति के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित उत्पाद जिस पर प्राधिकारी के सिफारिश के आधार पर शुल्क अधिरोपित किया गया है, सोडियम सायनाइड (NaCN) है । विचाराधीन उत्पाद एक विशुद्ध मूलभूत अकार्बनिक रसायन है जिसका विनिर्माण कास्टिक सोडा के साथ हाइड्रोसाइनिक एसिड (HCN) की प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है । इसका इस्तेमाल मुख्यतः रंजक मध्यवर्ती, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रसायनों आदि जैसे उद्योगों द्वारा और हीट ट्रीटमेंट सॉल्ट्स के विनिर्माण, सोने के निष्कर्षण आदि के लिए किया जाता है ।

4. सोडियम सायनाइड (NaCN) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 283711 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त इस जाँच के निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण जाँच का दायरा मूल जाँच और तदुपरांत प्रथम एसएसआर में पहले से अभिज्ञात उत्पाद तक ही सीमित है ।

प्रक्रिया

5. इस जाँच से यह निर्धारण किया जाएगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है । प्राधिकारी यह जाँच करेंगे कि क्या पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क की समाप्ति या उसमें परिवर्तन या दोनों ही किए जाने की स्थिति में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है : -

i. इस समीक्षा में दिनांक 5 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना सं. 15/9/2003-डीजीएडी के सभी पहलू शामिल होंगे । इस समीक्षा जाँच में शामिल देश कोरिया गणराज्य और अमेरिका हैं ।

ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 है । तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2006- मार्च, 2007, अप्रैल, 2007- मार्च, 2008, अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 तथा जाँच की अवधि शामिल होगी ।

iii. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

6. घरेलू उद्योग द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने से चालीस दिन (40 दिन) के भीतर निर्धारित प्रपत्र (घरेलू उद्योग हेतु आवेदन) में इस आशय से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि पहले से लागू शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है ।

7. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है : -

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
फैक्सः 91-11-23063418

8. अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है । प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय निवेदन प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकारों हेतु उसका एक अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

समय सीमा

9. घरेलू उद्योग से सूचना प्रस्तुत होने पर, सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिनके पते उपलब्ध हों, को इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को लिखित में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिनके पते उपलब्ध न हों, भी घरेलू उद्योग के आवेदन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियाँ/सूचना प्रस्तुत कर सकता है । इस प्रयोजनार्थ आवेदन के अगोपनीय रूपांतर को सार्वजनिक फाइल में रखा जाएगा । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

10. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है । यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2010

Initiation

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty on import of Sodium Cyanide originating in or exported from Korea RP and United States of America.

F. No. 15/6/2010-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti Dumping Duty on imports of Sodium Cyanide, (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Korea RP and United States of America, the final findings notification of the Authority in the original investigation and subsequently in first SSR was published vide notification No. 8/1/99-DGAD dated 6th March 2000 and 15/9/2003-DGAD dated 5th October, 2005 respectively. On the basis of the findings in the first SSR, definitive anti dumping duties on the subject goods imported from subject countries were imposed by the Department of Revenue vide notifications No. 102/2005 dated 19.12.2005.

Initiation of Sunset Review

2. Whereas, in terms of Section 9A (5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In this regard, Hon'ble Delhi High Court in WP No 16893 of 2006 held that sunset review is mandatory, therefore, the Designated Authority hereby initiate sunset review in accordance with section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration

3. Product under consideration in the original investigation and first Sun Set Review investigation and product attracting duty as on date, based upon the recommendation of the Authority is Sodium Cyanide (NaCN), originating in or exported from subject countries. The PUC is a pure basic inorganic chemical, manufactured by reaction of Hydro Cyanic Acid (HCN) with Caustic Soda. It is mainly used by industries such as dye intermediates, electroplating chemicals, and for manufacture of heat treatment salts, Gold extraction etc.

4. Sodium Cyanide (NaCN) is classified under Customs Sub-Heading 283711 of Customs Tariff Act. The classification however is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. Further this being a Sun Set Review investigation, the scope of investigation is limited to the product already identified in original investigation and in the subsequent first SSR.

Procedure

5. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both:-

i. The review will cover all aspects of Notification 15/9/2003-DGAD dated 5th October, 2005. The countries involved in this review investigation are Korea RP and United States of America.

ii. The period of investigation for the purpose of the present review is from 1st April 09 to 31st march, 2010. The injury investigation period will however cover the periods April'2006-March'07, April'2007–March'2008, April'2008-March'2009 and the POI.

iii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information:

6. The Domestic industry is required to submit information on prescribed *pro forma* (Application for Domestic industry) and information that cessation of duty already in place is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, within forty days (40 days) of issue of this notification.

7. The exporters in subject country, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned would be addressed

separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan New Delhi-110011.
Fax: 91-11-23063418

8. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit:

9. On receipt of information from domestic industry, all interested parties, whose addresses are available, would be advised through a letter to offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date application from Domestic industry. For this purpose non confidential version of the application would be placed in the public file. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules sup

Inspection of Public File

10. In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.